

उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिकि संहति लागू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुख्यमंत्री ने देहरादून में एक बैठक में घोषणा की कि जनवरी 2025 से पूरे उत्तराखंड में [समान नागरिकि संहति \(UCC\)](#) लागू की जाएगी।

मुख्य बटि

- समान नागरिकि संहति:
- परचिय:
 - समान नागरिकि संहति को [संवधिान के अनुच्छेद 44](#) में [राज्य नीति के नरिदेशक सदिधांतों](#) के भाग के रूप में रेखांकति कतिा गया है, जसिमें कहा गया है कि सरकार को पूरे भारत में सभी नागरिकों के लतिे समान नागरिकि संहति स्थापति करने का प्रयास करना चाहतिे।
 - हालाँकि, इसका कार्यान्वयन सरकार के वतिक पर छोड़ दतिा गया है।
- ऐतहासकि संदर्भ:
 - अंगरेजों ने भारत में एक समान आपराधिक कानून स्थापति कतिे, लेकनि उन्होंने पारविारिकि कानूनों को उनकी संवेदनशील प्रकृति के कारण मानकीकृत करने से परहेज कतिा।
 - बहस के दौरान [संवधिान सभा](#) ने समान नागरिकि संहति पर चर्चा की और मुस्लिम सदस्यों ने सामुदायिकि व्यक्तगित कानूनों पर इसके प्रभाव के संबंध में चतिा व्यक्त की तथा धार्मिकि प्रथाओं के लतिे सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव रखा।
 - दूसरी ओर [के.एम. मुंशी](#), [अललादी कृष्णसवामी](#) और [बी.आर. अंबेडकर](#) जैसे समर्थकों ने समानता को बढ़ावा देने के लतिे समान नागरिकि संहति की वकालत की।
- मील का पत्थर उपलब्धि:
 - उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिकि संहति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा।
 - गोवा भारत का एकमात्र राज्य था जहाँ [1867 के पुर्तगाली नागरिकि संहति](#) के अनुरूप समान नागरिकि संहति लागू थी।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का UCC के प्रतदिष्टकिोण:

- मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम केस, 1985: न्यायालय ने खेद के साथ कहा कि "अनुच्छेद 44 एक मृत पत्र बन कर रह गया है" और इसके कार्यान्वयन की आवश्यकता पर ज़ोर दतिा।
- सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, 1995 और जॉन वल्लमट्टम बनाम भारत संघ, 2003: न्यायालय ने UCC को लागू करने की आवश्यकता पर ज़ोर दतिा।
- शायरा बानो बनाम भारत संघ, 2017: सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दतिा कि तीन तलाक की प्रथा असंवैधानिकि है और मुस्लिम महिलाओं की गरमि और समानता का उल्लंघन करतिी है।
- इसमें यह भी सुझाव दतिा गया कि संसद को मुस्लिम विवाह और तलाक को वनियमति करने के लतिे कानून पारति करना चाहतिे।
- जोस पाउलो कॉउटनिहो बनाम मारतिा लुइज़ा वेलेंटिना परेरा केस, 2019: न्यायालय ने गोवा की प्रशंसा एक "उज्ज्वल उदाहरण" के रूप में की, जहाँ "समान नागरिकि संहति सभी पर लागू होती है, चाहे वह कसिी भी धर्म का हो, सविाय कुछ सीमति अधिकारों की रक्षा के" और पूरे भारत में इसके कार्यान्वयन का आह्वान कतिा।